न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कनवास जिला कोटा राज0

बईजलास श्री राजेश डागा (आर.ए.एस0)

दावा मु.नं. 30 / 20 जी.सी.एम.एस. 2020 / 00049

1. सत्यनारायण उर्फ रामभरोस पुत्र श्री बाबूलाल उर्फ बाबू जाति चमार मेघवाल निवासी गरडा तहसील कनवास हाल निवास म0न0 2045 थेकडा पुलिया, सूरसागर , जेके नगर कोटा।

—वादी—

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार
2. कनवास जिला कोटा राज0।

— प्रतिवादी—

वाद अन्तर्गत धारा 88,89 आर.टी.एक्ट.

उपस्थित —

वादी की ओर से— एडवोकेट श्री महेश कुमार मालव

प्रतिवादी राजस्थान सरकार की ओर से— तहसीलदार कनवास।

निर्णय

दिनांक— 19.01.2021

वादी द्वारा जर्ये एडवोकेट वाद अन्तर्गत धारा 88.89 आर.टी.एक्ट वास्ते राजस्व रिकार्ड में नाम दुरूस्त कराने बाबत वाद—पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी के संयुक्त खाते एवं कब्जे काश्त की आराजी माल ग्राम गरडा पटवार हल्का दांता तहसील कनवास जिला कोटा राजस्थान में मुताबिक जमाबंदी सम्वत् 2075—2078 खाता संख्या नई 88 के खसरा नबंर 150 के रकबा 0.70 है0, खसरा नबंर 151 की रकबा 1.63 है0, खसरा नबंर 651 की 0.02 है0, खसरा नबंर 652 की रकबा 0.13 है0, खसरा नबंर 654 की रकबा 0.83 है0, कुल किता 05 की कुल रकबा 3.31 है0, आराजी स्थित है, जो हमारे स्वर्गीय पिता बाबू पुत्र हीरा से आयी है।

यह कि वादी के स्वर्गीय पिता बाबू की जब मृत्यु हुयी तब वादी महज करीब 07—8 वर्ष का नाबालिग था, जिसे घर पर रामभरोस कहकर बुलाते थे, इसलिये वादी के पिता बाबू की मृत्यु की पश्चात खुले फोतीइंतकाल में वादी का नाम किसी ने रामभरोस लिखवा दिया , जबकि वादी को बाद में जब स्कूल में रखा तो वादी का नाम सत्यनारायण पुत्र बाबूलाल लिखवाया गया। तथा वर्तमान में वादी के आधार कार्ड, फोटो पहचान पत्र, बैंक पासबुक, राशनकार्ड आदि सभी दस्तावेजों में वादी का नाम सत्यनारायण पुत्र बाबूलाल दर्ज हो रहा है। तथा वर्तमान में वादी के सभी दस्तावेज सत्यनारायण पुत्र बाबूलाल के ही नाम के हैं । इसलिये वादी के राजस्व रिकार्ड व पहचान के दस्तावेजों में नाम की भिन्नता आने के कारण वादी को उक्त आराजी में कृषि कनेक्शन लेने में , सरकारी [illegible] अनाज बेचेने , सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने, कृषि ऋण प्राप्त करने आदि में भारी परेशानी आ रही

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Daga
Date: 2021.04.01 15:51:45 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
कनवास जिला कोटा (राज0)

है। जबकि मेरे पिता बाबूलाल के हम तीन ही पुत्र हैं जो क्रमशः गोपाल, फूल्या, सत्यनारायण उर्फ रामभरोस ही हैं तथा हमारे अलावा उनके अन्य कोई वारिस नहीं है। तथा मुझ वादी के नाम व वल्दियत एवं जाति का ग्राम गरडा में अन्य कोई व्यक्ति नहीं है।

इसलिये वादी द्वारा वाद दायर कर निवेदन किया कि वादी का वाद स्वीकार कर इस आशय की इन्द्राज दुरूस्ती की डिक्री सादिर पारित फरमाई जावे कि माल ग्राम गरडा पटवार हल्का दांता तहसील कनवास जिला कोटा राजस्थान में मुताविक जमाबंदी सम्वत् 2075–2078 खाता संख्या नई 88 के खसरा नबंर 150 के रकबा 0.70 है0, खसरा नबंर 151 की रकबा 1.63 है0, खसरा नबंर 651 की 0.02 है0, खसरा नबंर 652 की रकबा 0.13 है0, खसरा नबंर 654 की रकबा 0.83 है0, कुल किता 05 की कुल रकबा 3.31 है0, आराजी के राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम रामभरोस पुत्र बाबू की जगह शुद्व व सम्मानजनक नाम सत्यनारायण पुत्र बाबूलाल व जाति चमार की जगह मेघवाल दर्ज किया जावे तथा राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर कर तलवी प्रतिवादी जारी की गई, प्रतिवादी राजस्थान सरकार की ओर से तहसीलदार कनवास द्वारा दिनांक 01.12.2020 को जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि कि माल ग्राम गरडा पटवार हल्का दांता तहसील कनवास जिला कोटा राजस्थान में मुताबिक जमाबंदी सम्वत् 2075–2078 खाता संख्या नई 88 के खसरा नबंर 150 के रकबा 0.70 है0, खसरा नबंर 151 की रकबा 1.63 है0, खसरा नबंर 651 की 0.02 है0, खसरा नबंर 652 की रकबा 0.13 है0, खसरा नबंर 654 की रकबा 0.83 है0, कुल किता 05 की कुल रकबा 3.31 है0, आराजी में प्रार्थी रामभरोस पुत्र बाबू जाति चमार साकिन देह में 1/6 में सहखातेदार दर्ज रिकार्ड है। वादी का नाम आधार कार्ड, मतदाता पहचान–पत्र, बैंक पास बुक, राशनकार्ड में सत्यनारायण पुत्र बाबूलाल निवासी मकान नबंर 2045 थेकडा पुलिया, सूरसागर , जेके नगर कोटा दर्ज है। ग्राम पंचायत द्वारा जारी प्रमाण–पत्र 09.07.2020 व 12.12.2019 के अनुसार सत्यनारायण उर्फ रामभरोस पुत्र श्री बाबूलाल उर्फ बाबू एक ही व्यक्ति है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पूर्ण सुनवाई के पश्चात वादी के साबित कर दिये जाने पर वादी का नाम सत्यनारायण उर्फ रामभरोस पुत्र श्री बाबूलाल उर्फ बाबू किये जाने में कोई आपत्ति नहीं है इसमे कोई राजहित प्रभावित नहीं होता है। साथ ही राज्य सरकार के परिपत्र अनुसार वादी की जाति चमार के स्थान पर मेघवाल दर्ज किये जाने में किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है।

हमारे द्वारा वाद के अंकित तथ्यों, संलग्न दस्तावेज़ों, जवाब सरकार, पंचायत द्वारा जारी प्रमाण–पत्र व वादी का जाति प्रमाण–पत्र, वादी का [illegible] शपथ–पत्र, गवाह राजू पुत्र मन्ना जाति बंजारा निवासी मोगदिया की टापरियां गरडा कस्बा [illegible] भंवर लाल बंजारा निवासी गरडा के शपथ–पत्र का अवलोकन करने पर हम वादी के संयुक्त खाते एवं कब्जे काश्त की आराजी माल ग्राम गरडा पटवार हल्का दांता तहसील कनवास जिला कोटा राजस्थान में मुताबिक जमाबंदी सम्वत्

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Daga
Date: 2021.04.01 15:51:45 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
कनवास जिला कोटा (राज०)

2075–2078 खाता संख्या नई 88 के खसरा नबंर 150 के रकबा 0.70 है0, खसरा नबंर 151 की रकबा 1.63 है0, खसरा नबंर 651 की रकबा 0.02 है0, खसरा नबंर 652 की रकबा 0.13 है0, खसरा नबंर 654 की रकबा 0.83 है0, कुल किता 05 की कुल रकबा 3.31 है0, आराजी के राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम रामभरोस पुत्र बाबू जाति चमार निवासी गरडा के स्थान पर सत्यनारायण उर्फ रामभरोस पुत्र श्री बाबूलाल उर्फ बाबू जाति मेघवाल निवासी गरडा हाल निवासी मकान नबंर 2045 थेकडा पुलिया, सूरसागर, जेके नगर कोटा किया जाना न्यायोचित समझते हैं।

आदेश

अतः वादी का वाद स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि वादी के संयुक्त खाते एवं कब्जे काश्त की आराजी माल ग्राम गरडा पटवार हल्का दांता तहसील कनवास जिला कोटा राजस्थान में मुताबिक जमाबंदी सम्वत् 2075–2078 खाता संख्या नई 88 के खसरा नबंर 150 के रकबा 0.70 है0, खसरा नबंर 151 की रकबा 1.63 है0, खसरा नबंर 651 की रकबा 0.02 है0, खसरा नबंर 652 की रकबा 0.13 है0, खसरा नबंर 654 की रकबा 0.83 है0, कुल किता 05 की कुल रकबा 3.31 है0, आराजी के राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम रामभरोस पुत्र बाबू जाति चमार निवासी गरडा के स्थान पर सत्यनारायण उर्फ रामभरोस पुत्र श्री बाबूलाल उर्फ बाबू जाति मेघवाल निवासी गरडा हाल निवासी मकान नबंर 2045 थेकडा पुलिया, सूरसागर, जेके नगर कोटा किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तदनुसार अंतिम डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 19.01.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजेश डागा (आर0ए0एस0)
उपखण्ड अधिकारी कनवास
जिला कोटा

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajesh Daga
Date: 2021.04.01 15:51:45 IST
Reason: SelfAttested

<u>अंतिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई</u>

(ऑर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix "D"-1)

अज अदालत **उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट कनवास** मुकाम **कनवास**

न्यायालय ब इजलास राजेश डागा R.A.S. उपखण्ड अधिकारी कनवास जिला कोटा (राज.)

दावा मु.नं. 30 / 20 जी.सी.एम.एस. 2020 / 00049

1. सत्यनारायण उर्फ रामभरोस पुत्र श्री बाबूलाल उर्फ बाबू जाति चमार मेद्यवाल निवासी गरडा तहसील कनवास हाल निवास म0न0 2045 थेकडा पुलिया, सूरसागर , जेके नगर कोटा।

–वादी–

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार कनवास जिला कोटा राज0।

– प्रतिवादी–

<u>वाद अन्तर्गत धारा 88,89 आर.टी.एक्ट.</u>

<u>निर्णय</u>

मुकदमा नं. 30 / 20 सन् 2020 तारीख फैसला 19.01.2020 **न्यायालय ब इजलास राजेश डागा उपखण्ड अधिकारी कनवास जिला कोटा** यह मुकदमा आव वास्ते इनफिसाल कतई रू–ब–रू **उपखण्ड अधिकारी कनवास** बहाजरी एडवोकेट **श्री महेश कुमार मालव** मिनजानिब मुदई व प्रतिवादी **राजस्थान सरकार की ओर से तहसीलदार कनवास स्वयं** मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है अंतिम डिक्री जारी की जाती है वादी के संयुक्त खाते एवं कब्जे काश्त की आराजी माल ग्राम गरडा पटवार हल्का दांता तहसील कनवास जिला कोटा राजस्थान में मुताबिक जमाबंदी सम्वत् 2075–2078 खाता संख्या नई 88 के खसरा नबंर 150 के रकबा 0.70 है0, खसरा नबंर 151 की रकबा 1.63 है0, खसरा नबंर 651 की रकबा 0.02 है0, खसरा नबंर 652 की रकबा 0.13 है0, खसरा नबंर 654 की रकबा 0.83 है0, कुल किता 05 की कुल रकबा 3.31 है0, आराजी के राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम रामभरोस पुत्र बाबू जाति चमार निवासी गरडा के स्थान पर सत्यनारायण उर्फ रामभरोस पुत्र श्री बाबूलाल उर्फ बाबू जाति मेघवाल निवासी गरडा हाल निवासी मकान नबंर 2045 थेकडा पुलिया, सूरसागर, जेके नगर कोटा किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

नीज ... **X** ...मुबलिग .... **X** ...बाबत ... **X** ..खर्चा इस मुकदमें का मय सूद व शरह ... **X** ...फीसदी सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक ... **X** ..को अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख **19.01.2021** माह जनवरी **2021** को जारी की गई।

मोहर ....

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajesh Daga
Date: 2021.04.01 15:51:45 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
कनवास जिला कोटा (राज0)

मुदई	रूपया	पै.	मुदायलाह	रूपया	पै.
[स्]टाम्प अर्जीदावा '''	---------NIL-----		स्टाम्प वकालतनामा ''''	---------NIL-----	
स्टाम्प वकालतनामा ''''			स्टाम्प अर्जी ''''		
[स्]टाम्प वजह सबूत ''''			महनताना वकील ''''		
महनताना वकील ''''			खर्चा गवाहान ''''		
खर्चा गवाहान ''''			फीस कमिश्नर ''''		
फीस कमिश्नर ''''			बाबत इजराय हुकमनामा ''''		
बाबत इजराय हुकमनामा ''''			मुतफर्रिक ''''		
मुतफर्रिक ''''			मीजान ''''		
मीजान ''''					

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिक्री के जरिये दिलाया गया हो या नहीं। दर्ज करना चाहिये।

राजेश डागा (आर०ए०एस०)
उपखण्ड अधिकारी कनवास
जिला कोटा

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajesh Daga
Date: 2021.04.01 15:51:45 IST
Reason: SelfAttested